ई.11016/1/2016-हिन्दी पार्ट-I

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(हिन्दी अनुभाग)

*****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

दिनांक: 19/9/2016 नई दिल्ली,

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 19.07.2016 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन।

माननीय मंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 19.07.2016 को हुई मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया था कि मंत्रालय व इसके संगठनों में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) और राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तद्नुसार उक्त धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी 14 दस्तावेजों (सामान्य आदेश, संकल्प, नियम, प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें तथा सरकारी दस्तावेज, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र, निविदा सूचना और निविदा फार्म) पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी कृपया यह सुनिश्चित करें कि उक्त 14 दस्तावेज द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी में) ही जारी किए जाते हैं।

जहां तक राजभाषा नियम 1976 के उप नियम 5 का संबंध है, इसमें यह अपेक्षा है कि हिन्दी में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिया जाए।

19.9.2016

(एम.सी. भारद्वाज)

उप निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

1. मंत्रालय के सभी अधिकारी ।
2. मंत्रालय के सभी अनुभाग/डेस्क/सैल।
3. मंत्रालय के सभी संगठन।
4. निदेशक, एनआईसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को कार्यालय ज्ञापन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।